



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226332
CG-DL-E-01042021-226332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 193]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 244(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2021- सीमाशुल्क ((गै.टै.)), दिनांक 31 मार्च, 2021 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 238 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में, यथा: -

(i) पेज नंबर 2 पर,

के लिए

“उक्त विनियमों में, विनियम 15 में,-

(क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “30 सितंबर, 2020” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “15 अप्रैल, 2021 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

पढ़ा जाए

“उक्त विनियमों में, विनियम 15 में,-

(क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “31 मार्च, 2021” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “15 अप्रैल, 2021 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April, 2021

G.S.R. 244(E).—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.39/2021-Customs (N.T.) dated the 31st of March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R.238(E) dated 31st March, 2021, namely: -

- (i) at the page number 2,

for

“In the said regulations, in regulation 15,-

- (a) in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, “till 30th September, 2020”, the words, figures and letters, “till 15th April, 2021” shall be substituted.”.

read

“In the said regulations, in regulation 15,-

- (a) in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, “till 31st March, 2021”, the words, figures and letters, “till 15th April, 2021” shall be substituted. ”.

[F. No. 450/58/2015- Cus IV (Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Cus.)